प्रेस नोट : 17 जून 2017

"Paytm" लूटने का एक खतरनाक हथियार

कैशलैस के नाम पर Paytm जैसी कई कंपनियाँ देश में विचरण कर रही हैं जिनके एजेन्ट तकनीकी खामी का फायदा उठाकर खुद या खुद के साथियों के साथ मिलकर ग्राहकों को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं| लूटने वाले के पास पुख्ता सबूत न होने व लूटी गई रकम की राशि वापस पाने में खर्च की जाने वाली रकम से अधिक न होने की वजह से चुपचाप बैठ जाना ही वे उचित समझते हैं परिणाम, इसी वजह से यह लूटमार लगातार जारी है|

ऐसा ही एक मामला संगठन के पास आया है जिसमें एक Paytm एजेन्ट (अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की मोब. 99888-50660 पताः मकान नः 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना) द्वारा

पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद पुत्र हीरालाल पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना (मोब. 73554-27270) से 11861/- रु. की रकम लूटी गई है| पुलिस में (दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559-5c) और दि. 22/05/2017 को कमिश्नर साहब को दी गई शिकायत नं. 114070) शिकायत किये जाने के बावजूद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो संगठन के मार्गदर्शन पर Paytm के नोयडा कार्यालय से लूटी गई रकम किस-किस खाते में गई? की जानकारी ली गई, जो Paytm द्वारा आधिकारिक तौर पर लिखित में ना देकर सादे पेपर पर दी गई जिसके बाद धोखाधड़ी करनेवाले की घेराबंदी की गई तब आरोपी का इंस्पैक्टर भाई पीड़ित को धमकियाँ देने लगा और कहने लगा कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठ कर दारू पीता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता" मगर संगठन की ताकत के सामने आरोपियों को घुटने टेकने पड़े और 11861/- रु. के बदले 40,000/- रु. के साथ-साथ बैंक स्टेटमैंट देना भी कबूल किया गया मगर 20,000/- रु. देने के बाद आरोपी वापस नहीं आया Paytm एजेन्ट अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ही जानकार पड़ोसी लकी उर्फ जयहिंद के खाते से पैसे निकाले जबकि लकी उर्फ जयहिंद ने आरोपी के पासपोर्ट के लिये गवाही डाली हुई है इसका मतलब साफ है कि आरोपी (अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की) ने विश्वास पात्र व्यक्ति को ही धोखा दिया ऐसे धोखेबाज इन्सान को तो लात-घूसे मार कर मुहल्ले से बाहर निकाल देना चाहिये इस वजह से मामले को संबंधित विभागों में भेजा जा रहा है जिससे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके|

संगठन की पाठकों से अपील है कि, वे Paytm जैसी किसी भी कंपनी के ग्राहक बनने से पहले यह लिखवा कर लें कि, 'जैसे ही ग्राहक के साथ धोखाधडी होती है तो तुरंत ही लिखित शिकायत पर सरकारी तौर पर पूरी जानकारी ग्राहक को उपलब्ध करवायें कि, उसके खाते की कितनी रकम, किसने, किस-किस खाते में ट्रांसफर करके उसके साथ धोखाधड़ी करके रकम लूटी है और अगर इस मामले में धोखाधड़ी करनेवाला Paytm का एजेन्ट या उसका साथी है तो कंपनी धोखाधड़ी की रकम का 5 गुना तुरंत पीड़ित को उपलब्ध करवायेगी| इस प्रक्रिया के तहत आम जन ऐसे धोखाधड़ी करनेवालों को सबूतों के साथ तुरंत पकड़ तो लेंगे ही साथ ही अपनी रकम भी तुरंत वापस प्राप्त कर सकेंगे|

धोखाधड़ी तुरंत पकड आने के साथ-साथ धोखाधड़ी से लूटी गई रकम पीड़ित को तुरंत मिलने से ऐसे अपराधों की संख्या में कमी होती चली जायेगी|

संगठन चाहता है कि, संगठन के सदस्य व पाठकगण संबंधित अधिकारियों (पुलिस कमिश्नर, लुधियाना मोब. 75088-00001 / 7837018501 और बैंकिंग लोकपाल, पंजाब फोन नं. 0172 - 2721109 को फोन या SMS करें और उचित कार्यवाही के लिये कहें साथ ही पीड़ित को इंसाफ दिलवाने की पहल करने की दिशा में कदम उठायें|

SMS में लिखें :

Plz. Visit 'www.20170617.bvbja.com' Paytm Agent ki dhokhadhario se bache aur aaropi ko saza dilaye jisse aise log aage se aise galat kaam na kare

धन्यवाद!
मुकेश ठाकुर
मोब. 81467-61055
भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
www.bvbja.com

संलग्न दस्तावेज़:

1. पीड़ित का शपथ-पत्र
2. पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़
3. पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बड़ोदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़
4. पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का 'Snapshot'
5. आरोपी द्वारा पासपोर्ट आवेदन की कॉपी

प्रतिलिपी:

1. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना Page 1 & Page 2
2. पासपोर्ट अधिकारी, लुधियाना Page 1 & Page 2
3. थाना-प्रभारी
4. Paytm मुख्यालय (H.Q.), नोयडा, उ.प्र.
5. बैंकिंग लोकपाल (R.B.I.), चंडीगढ

संबंधित मामले का विवेचनात्मक विवरण

संबंधित मामले में भेजे गये पत्रों की रसीदें

http://www.bvbja.com/EmailReply2.aspx?Pg=487&Rnd=12521612071891420691130120